

कार्यालय- नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद-भदोही

पत्रांक 78

/न0पा10परि0म0/2025-26

दिनांक 11/04/2025

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

कृपया जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में "राज्य वित्त एवं 15वें वित्त (अनटाइड ग्रांट व टाईड ग्रांट) मद" के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 14/04/2025 से दिनांक 28/04/2025 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ अनुमानित धनराशि पर धरोहर धनराशि के रूप में आनलाईन एफ.डी.आर/एन.एस.सी. अधिशासी अधिकारी के पक्ष में बंधक हो देना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य (कार्य के समक्ष लिखे मूल्य का निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 11193060148 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 में जमा कर UTR नम्बर अथवा पावती पत्र सलग्न कर देय होगा) के रूप में जो शर्तों में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 28/04/2025 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरान्त प्राप्त निविदायें उपरिथत निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 29/04/2025 को अपराह्न 02:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारण वश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यवधि
राज्य वित्त मद-					
1.	वार्ड नं0 05 अहमदगंज फुलवरियां मो0 हरिजन बस्ती में लालजी के मकान से बन्सीधर के मकान होते हुए रामपती के मकान तक व हरीलाल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	20.17	2.02	2380	03 माह
2.	वार्ड नं0 16 रजपुरा मौर्या बस्ती में भरत मौर्या के मकान से रामबली मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	14.37	1.44	1696	03 माह
3.	वार्ड नं0 03 मथुरापुर मो0 जाहिदपुर में मंगतान चौराहा से ईदगाह सेन्टमैरी रैमलपुर मार्ग तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	10.82	1.08	1277	03 माह
4.	वार्ड नं0-03 मथुरापुर मो0 जाहिदपुर में डॉ0 सूहेल के मकान से कमालुद्दीन के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	13.31	1.33	1571	03 माह
5.	वार्ड नं0-06 डुडवा कुकरौठी मो0 हरिजन बस्ती में कुकरौठी पिच रोड से भरत गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	25.22	2.52	2976	03 माह
6.	वार्ड नं0 21 पीरखापुर में स्टेशन रोड पर विमल कुमार गुप्ता के मकान से अमर उजाला ऑफिस होते हुए डॉ0 खुशींद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	19.38	1.94	2287	03 माह
7.	वार्ड नं0 21 पीरखापुर मो0 जलालपुर में गौतम बस्ती में पूर्वनिर्मित विशेष बाल श्रमिक/सामुदायिक भवन के जीर्णोधार का कार्य।	10.62	1.06	1253	03 माह
8.	वार्ड नं0 03 मथुरापुर मो0 जाहिदपुर में ईदगाह रैमलपुर मार्ग पर हाजी मुजम्मील के हाता से टी0डी0ओ0 मकान तक व बसी के मकान से बब्लू चौहान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	23.15	2.31	2732	03 माह

15वाँ वित्त (अनटाइड ग्रान्ट) मद-				
9.	वार्ड नं0-01 कुशियरा में प्राथमिक विद्यालय कुशियरा की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	12.07	1.21	1424 03 माह
10.	वार्ड नं0-02 मामदेवपुर में कम्पोजिट विद्यालय मामदेवपुर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	25.11	2.51	2963 03 माह
15वाँ वित्त (टाइड ग्रान्ट) मद-				
11.	नगर पालिका परिषद भदोही के सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट पिपरीस के आंशिक उत्तरी भाग में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	39.98	4.00	4718 03 माह
12.	नगर पालिका परिषद भदोही के सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट पिपरीस के आन्तरिक अवशेष भाग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	39.72	3.97	4687 03 माह

निविदा हेतु शर्त:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि की मूल प्रति निकाय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि की एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान ही संलग्न किया जाए। एक ही एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान को अनेक निविदाओं में संलग्न किए जाने पर संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कार्यों की ई-निविदा टू-बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनैन्सियलबिड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
- ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनैन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।
- ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनैन्सियलबिड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0 11593/नौ0-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में ठेकेदार द्वारा प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उनपर प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी 03 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत के लिए सिक्योरिटी 03 प्रतिशत ही रहेगी। परन्तु उसके पश्चात प्रत्येक 1.00 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करना होगा उक्त जमानत धनराशि अनुबन्ध के साथ जमा करने की बाध्यता होगी।
- शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
(क) 100/- रु0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।
(ख) 10/- रु0 के एकल गैर- न्यायिक स्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।
(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 साल्वेंसी का स्व-प्रमाणित प्रति।
(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
(ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
- किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
- निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
- उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।

18. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
20. कार्योदेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोषजनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
23. शासन द्वारा घन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
25. मरम्मत/निर्माण कार्य की गठित जॉच समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी व उसके उपरान्त ही भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।
26. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटो कार्यालय अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेंगे।
27. प्रस्तावित निर्माण कार्य स्थल पर कार्य की लागत, सम्बन्धित ठेकेदार का नाम प्रस्तावित निर्माण कार्य का पूर्ण विवरण निर्धारित समय सीमा आदि का स्पष्ट अंकन के साथ एक बोर्ड लगाया जायेगा।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही